सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन
COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES
विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस सं0: 2395 / 1014 / 2014 दिनांक: 26.05.2017

श्री दयानन्द
306, सी, कराला रोड़ R1148
ग्राम – सुल्तानपुर डबास
पोस्ट – ऑफिस, पूठ खुर्द
नई दिल्ली – 110039

वादी

बनाम

प्रतिभूति कागज कारखाना
(द्वारा) महाप्रबंधक R1149
होशंगाबाद – 461005
मध्य प्रदेश।

प्रतिवादी

सुनवाई की तिथि : 12.05.2017 अपराह्न 1600 बजे।

उपस्थित :

- श्री दयानन्द, शिकायतकर्ता।
- श्री अभिषेक श्रीवास्तव, प्रतिवादी की ओर से।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता श्री दयानन्द ने इलैक्ट्रीशियन के पद हेतु लिखित परीक्षा से संबंधित शिकायत – पत्र दिनांक 10.07.2014 के निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

2. प्रार्थी का अपनी शिकायत में कहना था कि प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद ने इलैक्ट्रीशियन के पद के लिए दिनांक 17.11.2013 को लिखित परीक्षा आयोजित की लेकिन उक्त परीक्षा दोबारा दिनांक 12.01.2014 को ली गई जिसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई। प्रार्थी का आगे कहना है कि उक्त परीक्षा से संबंधित जानकारी लेने के लिए उन्होंने आर.टी.आई. के तहत दिनांक 06.02.2014, दूसरी आर.टी.आई. दिनांक 18.02.2014 एवं दिनांक 24.03.2014 को स्मरण पत्र दिया। उसके बाद प्रथम अपीलीय अधिकारी के नाम से आर.टी.आई. लगाई जिसमें उन्हें अभी तक सही जानकारी नहीं दी गई है।

3. मामला अधिनियम की धारा 59 के अन्तर्गत प्रतिवादी से दिनांक 17.03.2015 को लिया गया। प्रतिवादी के पत्रों दिनांक 03.04.2015 एवं 11.04.2015 तथा वादी के टिप्पण दिनांक 26.08.2016 के मद्देनज़र दिनांक 12.05.2017 को सुनवाई रखी गई।

4. सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने अपने कथनों को दोहराया और कहा कि उन्हें पहली परीक्षा रद्द करने की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई। तथा दिनांक 17.11.2013 को जो इलेक्ट्रीशियन पद के लिए परीक्षा दी थी वह बहुत अच्छी हुई थी।

5. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि का कहना है कि वर्कमेन ट्रेडों के लिए 143 पदों में से 05 विकलागों के लिए आरक्षित किये गये थे जिसकी लिखित परिक्षा दिनांक 17.11.2013 को हुई थी परन्तु प्रशासनिक कारणों की वजह से परीक्षा रद्द करनी पड़ी। प्रतिनिधि ने बताया कि उन्होंने अपने विज्ञापन दिनांक 25.05.2013 के सामान्य शर्ते (2) एवं (11) में साफ साफ लिखा था कि आवश्यकतानुसार अधिसूचित पद घटाए/बढ़ाए जा सकेंगे। बिना कोई कारण भर्ती प्रक्रिया निरस्त/स्थगित/समाप्त की जा सकेगी। इस बारे में प्रबंधतंत्र का निर्णय अंतिम होगा तथा किसी तरह के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा संबंधित विस्तृत जानकारियाँ जैसे लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की सूची/साक्षात्कार की तारीख व उसका स्थान, डुप्लीकेट कॉल लेटर निकालने/प्राप्त करने, अंतिम प्रवीणता सूची इत्यादि की जानकारी एवं नवीनतम जानकारी हेतु नियमित रूप से वेबसाईट का अवलोकन करें।

6. विपक्षी का आगे कहना है कि दिनांक 12.01.2014 को दोबारा परीक्षा ली गई जिसकी सूचना दिनांक 01.01.2014 को वेबसाइट पर डाली गई थी जिसमें लगभग 10,000 लोगों ने भाग लिया और जिसमें से दो अस्थि बाधित व्यक्तियों की भर्ती की गई। शेष 03 बैंकलॉग रिक्तों को रोजगार समाचार पत्र दिनांक 07–13 मार्च 2015 के माध्यम से भरा गया जिसमें 02 दृष्टिबाधित एवं 01 श्रवण बाधित है।

7. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् न्यायालय ने यह पाया है कि प्रतिवादी 100 बिन्दु आरक्षण रजिस्टर न बनाकर 200 बिन्दुओं वाला आरक्षण रजिस्टर बना रहा है जो कि गलत है प्रतिवादी को निम्नलिखित निर्देशों के साथ मामले का निपटारा किया जाता है:–

- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं0 36035/3/2004–स्थापना (आरक्षण) दिनांक 29.12.2005 के पैरा 15 (क) के अनुसार निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण निर्धारित करने/लागू करने के लिए सभी स्थापना, 100 बिन्दुओं वाला आरक्षण रोस्टर बनाएं।
- भविष्य में परीक्षा से संबंधित सभी जानकारियाँ समय पर दी जाए।
- भविष्य में रोस्टर के हिसाब से रिक्तियों की गणना करें; और यदि बैकलॉग है तो विशेष भर्ती अभियान के तहत रिक्तियों को भरें;
- भर्ती का विज्ञापन कार्मिक और प्रशासनिक विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/3/2004 – स्था. (आरक्षण) दिनांक 29.12.2005 तथा समय समय पर जारी किए गए आगमी कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार होना चाहिए;
- परीक्षा एवं रोल नम्बर विवतरण में पर्याप्त समय उपलब्ध होना चाहिए।

(डॉ कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त